[illegible]

[illegible]

[illegible]

2019/167

[illegible] 1	[illegible] 2	[illegible] 3	[illegible] 4	पेशी दिनांक 5
111-128	148/24	22/5/24	[illegible] 30/5/24 11/6/24	23/5/24

अनवान

श्री मुकेश कुमार

निवासी गणेशपुरा

श्री तुलजाराम मीणा

निवासी मृत

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री मुकेश कुमार धाकड़

श्री ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही [illegible]
22.05 /2024	प्रार्थना पत्र सीधे से [illegible] रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी [illegible] हो। पत्रावली वास्ते तलबी जवाब दिनांक 30.05 [illegible] हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया
30/5/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या :– 148/2024 [illegible]

मुकेश कुमार पत्र नन्दलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी [illegible] तहसील बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. नन्दा पुत्र नानीराम जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. कैलाश पुत्र डुगा जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. मदन पुत्र नारायण जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 [illegible]

–: आदेश :–

दिनांक [illegible]

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट** [illegible] का निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम भूति पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 64 पर अंकित आराजी संख्या 160 कुल किता 1 रकबा 1.0279 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के अवलोकन से प्रार्थी [illegible] आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **उमाजी का खेड़ा** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम भूति पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 64 पर अंकित आराजी संख्या 160 कुल किता 1 रकबा 1.0279 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या – 148/24 तारीख पेशी 22/5/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या 148........../ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत।

मुकेश कुमार पत्र नन्दलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी [illegible] तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. नन्दा पुत्र नानीराम जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. कैलाश पुत्र डुगा जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. मदन पुत्र नारायण जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.................विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम **भूति पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 64 पर अंकित आराजी संख्या 160 कुल किता 1 रकबा 1.0279 हैक्टेयर** भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **उमाजी का खेड़ा** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
बिजौलियाँ

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी